

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, लोहिडी


प्रकरण सं.:- 73/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1297

दिनांक:- 5.6.18

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी भूका वगतसिंह व भू.अ.नि. भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार तहसीलदार सिणधरी की अनुशासा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम डेरापाना तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 120 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि लालाराम पुत्र मन्शाराम के स्थान पर लालसिंह पुत्र मंछाजी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 5.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1298 - 1300

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लालसिंह पुत्र मंछाजी निवासी डेरापाना तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी